...ble in www.tenders.tn.gov.in. ...com/eprochome/tncsc
The bidders have to participate online bidding only with Digital Signature Certificate (DSC) of Class-II or Class-III. For Registration and further details contact MSTC LIMITED, Ph:25722842/25251910/25261005, e-Mail: mstcsro@mstcindia.co.in. Last Date for Online Submission : upto 11.00 A.M on 08.03.2023.
DIPR/935/Tender/2023
Sd/- S.PRABHAKAR
Managing Director
சோதனை கடந்து சுதந்திரம் அடைந்தோம், சாதனை புரிந்து சரித்திரம் படைப்போம்

11:30 am. ... After approval of Technical Propo... e-Procurement. (6) This tender notice car... on the BBMP Website: www.bbmp.go... details may be obtained from the above... office hours on working days or fr... https://eproc.karnataka.gov.in Sd/- Exec... RI-TE...

बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

(पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) (Sponsored by Bank of Baroda)
प्रधान कार्यालयः बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर–273016
क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल रघुवंशी टावर निकट राहुल प्रेक्षागृह पोस्ट- सदर आजमगढ़ उ.प्र.

सार्वजनिक नीलामी 29.03.2023

बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पूर्ननिमार्ण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) के साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना।
यह कि बड़ौदा यू.पी. बैंक प्रधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन और प्रतिभूहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट 2002) की धारा 13 (12) सपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को माँग पत्र जारी किया गया है जिसमे बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी है। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओ) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः एतद्वारा ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें यह सम्पत्ति बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय है यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता (ओं) गारंटीकर्ता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्रधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा/बिड्स कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथित के अनुसार "जो है जैसे है" तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेंडर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 28.03.2023 तक बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम तल रघुवंशी टावर निकट राहुल प्रेक्षागृह पोस्ट– सदर आजमगढ़ उ.प्र.में प्रस्तुत कर सकते है। सार्वजनिक निविदा तिथि 29.03.2023 को दोपहर 11.00 से 4.00 बजे तक बड़ौदा यू.पी. बैंक क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम तल रघुवंशी टावर निकट राहुल प्रेक्षागृह पोस्ट– सदर आजमगढ़ उ.प्र.। में खोली जायेगी।

क्रम सं.	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता	सम्पत्ति का विवरण/ स्वामी का नाम	मांग सूचना तिथि अधिग्रहण की तिथि सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ई.एम.डी.
1.	ऋणी–श्री शम्भूनाथ सोनार पुत्र राजेन्द्र वर्मा व श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी राजेन्द्र वर्मा, दोनो का पता–ग्राम बेलकुण्डा, पोस्ट– बैजाबारी आजमगढ़ जमानतदार (1) श्री शेषनाथ मौर्य पुत्र श्री सुभाष मौर्य, पता–सेठाकली, पोस्ट–बैजाबारी, जिला–आजमगढ़ (2) श्रीमती फूलमत्ती देवी पत्नी केशव यादव, पता–ग्राम–मोचीपुर, पोस्ट–लाटघाट, जिला–आजमगढ़, शाखा–लाटघाट आजमगढ़ खाता संख्या– 111166510032117	भूमि/भवन, गाटा/प्लॉट सं. –270, क्षेत्रफल–40 कड़ी सेल डीड संख्या 305 दिनांक 28.01.2010 ग्राम बेलकुण्डा, पोस्ट–बैजाबारी, पर0 व तह0– सगड़ी, आजमगढ़। स्वामी श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी राजेन्द्र वर्मा उर्फ राजेन्द्र सोनार चौहद्दी– उत्तर रोड बादहू मकान गुलाब व रामनयन, दक्षिण– जमीन अशोक मिश्रा, पूरब मकान सच्चिदानन्द मिश्रा, पश्चिम पीच रोड,	03.11.2018 14.02.2019/ कब्जे की स्थिति सरफेसी एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत मु.सं. 10986/2019 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के द्वारा बंधक सम्पत्ति पर कब्जे का आदेश प्राप्त है	939213.50 As on 30.09.2018 ब्याज एवं अन्य खर्च	2617000.00 आरक्षित मूल्य 261700/– ई.एम.डी.
2.	ऋणी–मे. राजन उर्वरक एवं बिल्डिंग मैटैरियल प्रो. स्व. राजन राय पुत्र श्री रामचन्द राय, विधिक उत्तराधिकारी श्रीगंगाधर पुत्र स्व. राजनराय, वंनदना राय पुत्री स्व. राजन राय, सपना राय पुत्री स्व. राजन राय, सुन्दरी राय, पुत्री स्व. राजन राय जमानतदार (1) श्रीमती प्रतिमा राय पत्नी स्व. राजन राय एवं बृजेश कुमार राय पुत्र महातिम राय ग्राम व पोस्ट चिरकिहिट शाखा. लालगंज आजमगढ़ खाता संख्या– 111485010055155	भूमि/भवन, गाटा/प्लांट सं. –970, क्षेत्रफल–239.35 वर्ग मी. ग्राम व पोस्ट– चिरकिहिट आजमगढ़, स्वामी श्रीमती प्रतिमा राय, पत्नी स्व. राजन राय, चौहद्दी– उत्तर– भूमि राजन राय, दक्षिण– भूमि विकास एवं अन्य, पूरब– भूमि रवि एवं अन्य, पश्चिम– पी.डब्लू.डी. रोड	31.05.2017 25.10.2017/ सांकेतिक कब्जा	1572297.30 As on 31.03.2017 ब्याज एवं अन्य खर्च	3428000/– आरक्षित मूल्य 342800/– ई.एम.डी.

विक्रय के नियम एवं शर्ते– 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर विड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2 निविदा प्रस्तुत कर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत बड़ौदा यू.पी. बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ संलग्न करे। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को छोड़कर) 24 घंटे के अन्दर अंतरण के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशि जप्त की जा सकती है। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्रधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज लियन, भार, प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकारी एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प रजिट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनके बीच आपस में पुनः बिडिंग करा ले। 8. निविदा/विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी/जमानतदार / बंधकर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule, 2002 (By the Secunty Interest (Enforcement) Amandent Rules 2002) धारा 13 की उप धारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ताओं की नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोचित कराने सम्बन्धि सभी अवसर उपलब्ध है। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरिक्षण हेतु सबंधित शाखा से पहले से समय से कर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओ /गारंटी कर्ता (ओं)/ बंधक कर्ता (ओ) के लिए विशेषरूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्य रू- है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना उपरोक्त ऋण प्रहिता/जमानतदा/बंधकर्ता (ओं) विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दे. इसमें असफल रहने पर बंधक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी आयेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित ली जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति उपर लिखे विवरण के अनुसार सम्पत्ति का निरीक्षण दि. 27.03.2023 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया (लाटघाट शाखा के लिए) मो. नं.–7318501758 व (लालगंज शाखा के लिए) मो.नं.– 9540166555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट–प्रकाषन सावधानीपूर्वक किया गया है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक 14.02.2023 स्थान– आजमगढ़

प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक